न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– औंकारमल (आर0टी0एस0)

मुकदमा नम्बरः– 04/2015

अन्तर्गत धारा 251 रा0का0अधि0 1955(सुखाचार)

निर्णय दिनांक 30.05.2017

30.05.2017 पत्रावली राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार'' कैम्प कोर्ट इन्द्रपुरा में पेश हुई। अप्रार्थीगण वकील अनुपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि ग्राम इन्द्रपुरा में स्वामियों की ढाणी से धोलाखेड़ा को जाने वाला चालू रास्ता को बंद करने पर सुखाचार 251 में खुलवानें हेतु प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण किशोरसिंह आदि ने पेश किया। प्रार्थना पत्र प्राप्त होनें पर शिकायत में वर्णित तथ्यों की जांच हल्का पटवारी इन्द्रपुरा से कराई गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट संलग्न नजरी नक्शानुसार ग्राम इन्द्रपुरा में खसरा नं0 40, 41, 42, 51 में निली स्याही से डोटेड रास्ता नक्शे में दर्ज है। जिसका अलग से कोई खसरा नं0 नहीं है। खातेदारी में ही डोटेड रास्ता है जिसको खातेदारों ने बिन्दू संख्या A B C F से बन्द कर बिन्दू संख्या B, D, D,H व G से H जो काली स्याही से दर्शाया गया पर चालू कर रखा था करीब दो महिने से खसरा नं0 41 के खातेदार रतन सिंह पुत्र विशाल सिंह, सिरेकंवर पत्नी विशालसिंह ने बिन्दू सं0 D एवं खसरा नं0 51 के खातेदार कजोड़दास पुत्र सुरजादास स्वामी ने बिन्दू संख्या H पर बंद कर रखा है। कि जांच प्राप्त होनें पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (सुखाचार) के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई। नोटिस प्राप्ति पर कजोड़दास का पुत्र भोलाराम (राजेन्द्र) जरिये वकील उपस्थित हुआ। एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर वास्ते जवाब हेतु समय चाहा शेष गैरसायल रतनसिंह की तामिल रिपोर्ट पर जयपुर रहना बताया गया तथा सिरे कंवर ने नोटिस लेने से इन्कार पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 04.05.2016 को सिरे कंवर की ओर से एडवोकेट यतेन्द्र सिंह ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थना पत्र एक पक्षिय कार्यवाही अपास्त करनें बाबत पेश किया तथा वास्ते साक्ष्य सबूत हेतु समय चाहा। अप्रार्थीगण वकील को साक्ष्य सबूत हेतु कई अवसर न्यायहित में दिये जानें के उपरान्त भी कोई साक्ष्य सबूत जवाब नोटिस पेश नहीं किया गया। अतः पत्रावली में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

आदेश

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज व राजस्व रिकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अवलोकन किया गया। ग्राम इन्द्रपुरा के खसरा नं0 40, 41, 42, 51 में निली स्याही से डोटेड रास्ता नक्शे में. दर्ज है जिसका अलग से कोई खसरा नं0 नहीं है खातेदारी में ही डोटेड रास्ता है जिसको खातेदारों ने बिन्दू संख्या A B C G F से बंद कर बिन्दू संख्या B, D D, H व G में से जो काली स्याही से दर्शाया गया पर चालू कर रखा था करीब दो महिने से खसरा नं0 41 के खातेदार रतनसिंह पुत्र विशालसिंह, सिरेकंवर पत्नी विशालसिंह ने बिन्दू संख्या D एवं ,खसरा नं0 51 के खातेदार कजोड़दास पुत्र सुरजादास स्वामी ने बिन्दू संख्या H पर बंद कर रखा है। रास्ते को राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (सुखाचार) के तहत खोले जाने के आदेश दिये जाते है तथा इसमें पटवारी हल्का की रिपोर्ट व नजरी नक्शा आदेश का हिस्सा रहेगा। भू0अ0निरीक्षक उदयपुरवाटी/पटवारी हल्का को उक्त आदेश की पालना की जानें हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 30.05.2017 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार उदयपुरवाटी

तहसीलदार उदयपुरवाटी

Scanned by CamScanner